क्रमांक 1155
हिमाचल प्रदेश वन विभाग

दिनांक, लूहरी से 25/6/24

प्रेषक:—व0म0अ0 आनी

प्रेषित:— मुख्य अरण्यपाल रामपूर

Subject:- **Diversion of 1.668 hac. of Forest land in favour of HPPWD for the C/o road from Shamshar to Chalohan Km. 0/00 to 3/420 within the jurisdiction of Ani Forest Division. Distt. Kullu H.P.**

महोदय,

कृप्या भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या FC/HPB/06/124/2022 दिनांक 31.10.2023 के सन्दर्भ में

विषय उपरोक्त के तहत शर्तो की अनुपालना रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न प्रकार से है:—

Sr.No.	Stipulations/conditions	Reply
A(i)	प्रयोक्ता एजेंसी से सी0ए0 स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी से सी0ए0 स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवा दी गई है छायाप्रति सलंग्न है।
(ii)	प्रयोक्ता एजेंसी से ए0सी0ए स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की अतिरिक्त राशि जमा करवाई जाएगी।	सलंग्न है।
(iii)	WP© संख्या 202/1995 में ए0 नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवंज लवायु परिवर्यन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5—3/2007—एफ.सी. (Volume-1) दिनांक 06.01. 2022 के अनुसार एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि 1.668 हे0 की नैट प्रजैट वैल्यु जमा करवाई जाये।	सलंग्न है।
(iv)	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर केवल आनलाइन माध्यम से कैम्पा फंड में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी ने सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर आनलाइन माध्यम से कैम्पा फंड में जमा करवा दिए है।
(v)	पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई—पोर्टल पर उपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई—पोर्टल पर उपलोड कर दी गई है।
(vi)	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सी0ए0 लागत, एन0पी0बी0 आदि)	प्रयोक्ता एजेंसी ने प्रतिपूरक शुल्क (सी0ए0 लागत, एन0पी0बी0 आदि)

	वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उन्पन चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक मे जमा किए जाते है। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि का एस0–1 clearance के अनुपालन के रुप नही किया जाएगा।	वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उन्पन चालान के माध्यम से जमा कर दिए गए है छायाप्रति सलंग्न है।
(vii)	प्रयोक्ता एजेसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग मे कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए एस0–1 पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है एस0–1 अनुमोदन की शर्तो के अनुमोदन के लिए अभी भी लंबित नही है। इस आश्य को एक वचन पत्र कि इस मंडल के पास एस0–1 अनुमोदन की शर्तो के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नही है प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिएए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	सलंग्न है।
(viii)	एफ.आर ए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के द्वारा दिया जाएगा।	सलंग्न है।
B (i)	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।	सलंग्न है।
(ii)	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधो की संख्या किसी भी रुप मे प्रस्ताव मे दर्शायी गई संख्या से अधिक नही होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नही पहुचाया जाएगा। यदि Muck dumping site प्रस्ताव मे सम्मिलित है, तो वहा को कोई भी वृक्ष पातन नही किया जाएगा।	सलंग्न है।
(iii)	राज्य सरकार प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 3.336 है0 Toposheet No. H43F7 UPF Kutwa C-176, Chowai Forest Range, Anni Forest Division at Luhri, Tehsil Ani, Dsitt. Kullu, Himachal Pradesh पर सी0ए0 किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा।	सलंग्न है।
(iv)	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।	सलंग्न है।
(v)	नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवाएगें।	नोडल अधिकारी (State CAMPA) Shimla से सम्बन्धित है।
(vi)	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपनें से पहले एफ0एस0आई0 के ई–ग्रीन वॉच पोर्टल मे प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को upload करेगी।	सलंग्न है।
(vii)	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उदेश्य के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिए नही किया जाएगा।	सलंग्न है।

(viii)	मननीय उच्चतम न्यायलय के निर्देशानुसार, जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढाई जाएगी तो उस बढी हुई एन0पी0वी0 की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगें।	सलंग्न है।
(ix)	एवेन्यु वृक्षारोपण, सडक के दोनो ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	सलंग्न है।
(x)	स्थानातरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्रिय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति मे किस अन्य एजेंसी, विभाग या व्यकित विशेष को हंस्तातरित किया जाएगा।	सलंग्न है।
(xi)	केद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	सलंग्न है।
(xii)	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	सलंग्न है।
(xiii)	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जाएगी।	सलंग्न है।
(xiv)	पयोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण समग्री क परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	सलंग्न है।
(xv)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाएगी ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	सलंग्न है।
(xvi)	प्रयोक्ता एजेसी राज्य के मुख्य वन्य जीव सरंक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के सरंक्षण तथा परिरक्षण मे राज्य सरकार की सहायता करेगी।	सलंग्न है।
(xvii)	स्थानातरित वन भूमि की सीमाएं आगे तथा पीछे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फीट उॅचे सीमेट के खम्बो द्वारा चिन्हितकी जाएगी।	सलंग्न है।
(xviii)	संरक्षित क्षेत्र/ वन क्षेत्रों मे नियमित अंतराल पर सडक के किनारे स्पीड रेगुलेटिग साइनेज लगाए जाएगे।	सलंग्न है।
(xix)	प्रयोक्ता एजेसी सीडब्लूएलडब्ल्यू/एनबीडब्लुएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार सरंक्षित क्षेत्र / वन क्षेत्र के उपयुक्त अडंर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	सलंग्न है।
(xx)	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेसी पय्रवरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	सलंग्न है।

(xxi)	कूडा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।	सलंग्न है।
(xxii)	इस प्रस्ताव को 99 वर्षो के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेसीं के पक्ष मे दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह समाप्ति होगी।	सलंग्न है।
xxiii	अन्य कोइ भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के सरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जा सकती है।	सलंग्न है।
xxiV	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायलय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एंजेसी की जिम्मेवारी होगी	सलंग्न है।
xxv	इनमें से किसी भी अन्य शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifiation), 2019 मे उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जाएगी	सलंग्न है।

संलग्नः—उपरोक्त

15.06.2024

वन मण्डल अधिकारी
आनी वन मण्डल स्थित लूहरी

25/06/2024

PROFORMA

1	State/Distt./Forest Division to which the proposal relates.	H.P./Kullu/ Ani Forest Division.
2	Name of User Agency, nature of proposal.	HPPWD
3	Extent of forest area involved.	2.43 hac.
4	Whether original or extension.	Yes.
5	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area and if so specify.	No.
6	Date of 1st stage clearance.	19.07.2022
7	Amount realized in Rs.	41,48,830.00/-
a)	Compensatory afforstation.	1288112/-
b)	Additional CA	00
C)	Penal CA	00
d)	Catchment area Treatment	00
e)	Wildlife Management plan	00
f)	Additional charges for diversion of area falling under notified/protected areas.	00
g)	Net present value	2598812/-
h)	Any other charges/levies (pl. specify). **(Contingency Charges)**	64406/-
	Soil Moisture & Conservation Plan	197500/-
	Total	4148830/-
8	Detail of Bank drafts (Bank Draft No. Date and amount) head wise against items.	-Nil-
9	Whether deposited by RTGS, if so the particulars & date of remittance.	Yes! UTR No. SBIN222360184504
10	Bank (Corpn. Bank Lodhi Complex/Union Bank of India S/Nagar) in which deposited with date of deposition.	Union Bank of India Lodhi, FCS Centre, 21/1 II Floor Jelitta Towers, Mission road Bengaluru-560027
11	Any other remarks.	The Departmental charges amounting to Rs. 225420/-only has been deposited in Departmental account through TC –Nil- dated Nil (photocopy attached).

25.06.2024

Divisional Forest Officer,
Ani Forest Division, ~~Luhri.~~
3/8/2024

HPTR-RTGS),
RTGS/NEFT ADVICE

12124
28/3/24

Treasury Code:	S	M	L	1	0	DDO Code:	6	4	9	0	0

DDO Description: Executive Engineer, Outer Seraj Division, HPPWD, Nirmand.

Pre-Assigned Token No.:	2	2	1	5	0	9	7	5		Dated	2	8	0	3	2	0	2	4

To be directly credited in following accounts	Total Amount:	Rs. 2817263.00

Sr. No.	Name of Contractor / Supplier	I.D.	IFSC code of Bank	Bank Name	Account No.	Amount
1	Himachal Pradesh CAMPA	-	000703	SBI Rampur	Payment of challan on a/c of payment of NPV etc.	2817263.00
					Total Rs.	2817263.00

PAID

Amount in words:- (Rupees Twenty eight Lakhs seventeen thousand two hundred sixty three) only

(Received by ________ Executive Engineer Outer Seraj Division HP. PWD, Nirmand

TREASURY OFFICER RAMPUR BSR. (H.P.
28/3/24

Executive Engineer
Outer Seraj Division
HP. PWD, Nirmand

(Pay order by DTO/TO

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-03-2024

Agency Name.	HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	61151416492
MoEF/SG File No.	FC/HPB/06/124/2022
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address.	Engineer-In-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar ShimlaShimla
Amount(in Rs)	2817263/-

Amount In Words :Twenty-Eight Lakh Seventeen Thousand Two Hundred and Sixty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507061151416492 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

SBINR52024032872221330

Note:After making the required payment through ch
even after 7 working days, then kindly mail a copy c
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse
ubin0903710@unionbankofindia.bank

Executive Engineer
Outer Seraj Division
HP. PWD, Nirmand

भारतीय स्टेट बैंक 0703
STATE BANK OF INDIA

28 MAR 2024

Negi (Associate)
PF No. : 8070286 Checker

https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pId=R

शर्त संख्या–A (i)

मैं वचन देता हूं कि CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाएगी।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-2024

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–A (ii)

मैं वचन देता हूं कि ACA स्कीम के अनुसार अतिरिक प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाएगी।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-2024

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–A (iii)

मैं वचन देता हूँ कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा IA न० 556 in WP(C) No. 202/1995 के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 & 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 1.668 हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किया जायेगा।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

Er. Sanjay Sharma
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

शर्त संख्या–A (iV)

मैं वचन देता हुँ कि परियोजना के तहत प्राप्त धन केवल इ पोर्टल https://parivesh-nic.in. के माध्यम से क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित /जमा किया जायेगा ।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

Er. Sanjay Sharma
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

शर्त संख्या–A (V)

मैं वचन देता हुँ कि सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट इ पोर्टल https://parivesh-nic.in. पर अपलोड की जाएगी ।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 25-06-24

Gs Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

शर्त संख्या–A (vi)

मैं वचन देता हूं कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए, एनपीवी आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किया जाएगा।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 25-06-24

Gs Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग, निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

शर्त संख्या–A (vii)

मैं वचन देता हूं कि इस मंडल के पास S-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–A (viii)

मैं वचन देता हुँ कि ऍफ़ आर ए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा ।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (i)

मैं वचन देता हूँ कि वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी ।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

45 Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मंडल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

शर्त संख्या–B (ii)

मैं वचन देता हूं कि काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और यदि muck dumping site प्रस्ताव में सम्मिलित है तो वहां का कोई भी वृक्ष पतन नहीं किया जाएगा

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मंडल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

45 Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (vii)

मैं वचन देता हूँ कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजन हेतु नहीं किया जायेगा ।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियन्ता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लो.नि.वि. विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (viii)

मैं वचन देता हूँ कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद देय होगी

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियन्ता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (ix)

मैं वचन देता हुँ कि आई. आर. सी. मानदंड़ो के अनुसार सड़क के दोनों और वह मध्य भाग पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियन्ता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (X)

मैं वचन देता हुँ कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावती हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा ।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियन्ता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (xi)

मैं वचन देता हुँ कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदलेगा ।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (xii)

मैं वचन देता हुँ कि वन एवं आसपास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा ।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (xiii)

मैं वचन देता हूं कि वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे जिसके लिए वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (xiv)

मैं वचन देता हूं कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निशपादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (XV)

मैं वचन देता हूं कि श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध किया जाएगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।

स्थान :- निरमंड
दिनांक :- 24-06-24

Sd/- (Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियन्ता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Sd/- Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (XVi)

मैं वचन देता हूं कि राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करूंगा।

स्थान :- निरमंड
दिनांक :- 24-06-24

Sd/- (Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियन्ता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Sd/- Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (xvii)

मैं वचन देता हूं कि स्थानांतरित वन भूमि की सीमाएं आगे तथा पीछे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊंचे सीमेंट के खम्बो द्वारा चिन्हित किया जाएगी!

स्थान :- निरमंड
दिनांक :- 24-06-24

Sd/- (Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Gs Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (xviii)

मैं वचन देता हुँ कि संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दुरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाएगा ।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

Sd/- (Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियंता
बाह्य सिराज मंण्डल
लोक निर्माण विभाग निरमंड

Gs Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (xix)

मैं वचन देता हूं कि डब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरएसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (XX)

मैं वचन देता हुँ कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के अनुसार पर्यावरनीय स्वीकृति यदि लागु हो तो प्राप्त की जाएगी।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (xxi)

मैं वचन देता हूं कि कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियन्ता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

शर्त संख्या–B (xxii)

मैं वचन देता हूं कि 99 वर्षों के बाद भारत सरकार से यह अनुमति पुनः प्राप्त की जाएगी और इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी!

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियन्ता
Executive Engineer
बाह्य सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

शर्त संख्या–B (xxii)

मैं वचन देता हूं कि 99 वर्षों के बाद भारत सरकार से यह अनुमति पुनः प्राप्त की जाएगी और इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो कम हो, के सह-समाप्ति होगी!

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
बाहय सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (xxiii)

मैं वचन देता हूं कि यदि कोई अन्य शर्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लाई जाएगी उसका पालन करूंगा!

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियंता
Executive Engineer
बाहय सिराज मण्डल
Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड
H.P.P.W.D. Nirmand

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (XXiV)

मैं वचन देता हूँ कि यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जाएगी ।

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियन्ता / Executive Engineer
बाहय सिराज मण्डल / Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड / H.P.P.W.D. Nirmand

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या–B (XXV)

मैं वचन देता हूँ कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो वह वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest(Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003(Guidelines & Classifications), 2019 में उल्लिखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार उस पर कार्यवाही हो.

स्थान :- निरमंड

दिनांक :- 24-06-24

(Er. Sanjay Sharma)
अधिशाषी अभियन्ता / Executive Engineer
बाहय सिराज मण्डल / Outer Seraj Division
लोक निर्माण विभाग निरमंड / H.P.P.W.D. Nirmand

Dr. Chaman Lal HPFS
Divisional Forest officer
Ani Forest Division at Luhri

शर्त संख्या (B) III

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 3.336 हे0 क्षेत्र Toposheet No. H43F7 UPF Kutwa C-176, Chowai Forest Range, Anni Forest Division at Luhri, Tehsil Ani, Dsitt. Kullu, Himachal Pradesh पर क्षतिपूर्ति पौधारोपण किया जाएगा तथा इसमे स्थानीय प्रजातियों के पौधे रोपित किए जाएगें।

दिनांक–24.06.2024
स्थानः–लूहरी

Dr Chaman Lal HPFS
Divisional Forest Officer
Ani Forest Division at Luhri
वन मण्डल अधिकारी
आनी वन मण्डल स्थित लूहरी

शर्त संख्या (B) IV

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को विना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के नही बदला जाएगा।

दिनांक–24.06.2024
स्थानः–लूहरी

वन मण्डल अधिकारी
आनी वन मण्डल स्थित लूहरी

शर्त संख्या (B) VI

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले एफ0एस0आई0 के ई ग्रीन वॉच पोर्टल मे प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी।

दिनांक–24.06.2024
स्थानः–लूहरी

Dr Chaman Lal HPFS
Divisional Forest Officer
Ani Forest Division at Luhri
वन मण्डल अधिकारी
आनी वन मण्डल स्थित लूहरी